आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 152/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ क्षेत्रीय कार्यालय दी गुमान प्रथम, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. देवकी देवी पत्नी घनश्याम शर्मा

   पता–(1) फ्लेट नम्बर एस–3, द्वितीय फ्लोर, टी.टी. रेजिडेन्सी, नारायण विहार, प्लाट नम्बर 6, ब्लॉकक Q, अजमेर रोड, जयपुर एवं

   (2) 64 बी, पवन विहार, गजसिंहपुरा, वार्ड नम्बर 14, अजमेर रोड, हीरापुरा, जयपुर

2. विजेन्द्र शर्मा

   पता–(1) फ्लेट नम्बर एस–3, द्वितीय फ्लोर, टी.टी. रेजिडेन्सी, नारायण विहार, प्लाट नम्बर 6, ब्लॉकक Q, अजमेर रोड, जयपुर

   (2) 64 बी, पवन विहार, गजसिंहपुरा, वार्ड नम्बर 14, अजमेर रोड, हीरापुरा, जयपुर एवं

   (3) मैसर्स कृष्णा स्टील वर्कस 196, कृष्णा नगर मुहाना रोड गोल्यावास, मानसरोवर जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.03.2022.

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.02.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती देवकी के स्वामित्व की सम्पति रेजीडेन्शियल फ्लैट यूनिट नम्बर एस–3 द्वितीय तल (बिना तल) टी.टी. नारायण रेजिडेन्सी स्थित प्लाट नं॰ 6, ब्लॉक Q, नारायण विहार, गोपालपुरा बाईपास के पास, अजमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 908.02 वर्गफिट को बन्धक रख कर 19,50,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 37 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 19,50,000/— रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगन ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगन का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,16,521/—रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगन द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

6. अत : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती देवकी के स्वामित्व की सम्पति रेजीडेन्शियल फ्लैट यूनिट नम्बर एस–3 द्वितीय तल (बिना तल) टी.टी. नारायण रेजिडेन्सी स्थित प्लाट नम्बर 6, ब्लॉक Q, नारायण विहार, गोपालपुरा बाईपास के पास, अजमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 906.02 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/03/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर